



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 20 फरवरी 2024

थाना जहांगीराबाद

विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी किया गया विद्युत तार, चोरी करने के उपकरण, 01 गाड़ी महेन्द्रा सुपरो मिनी ट्रक, अवैध चाकू आदि बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.02.2024 को थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम गडिया गेट के पास से विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, कब्जे/निशादेही से चोरी किया गया विद्युत तार, चोरी करने के उपकरण, 01 गाड़ी महेन्द्रा सुपरो मिनी ट्रक, अवैध चाकू आदि बरामद किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-74/24 धारा 420/120बी/411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. अमित पुत्र गंगा शरण उर्फ ढोला भगत जी निवासी ग्राम घोसीपुर थाना लोहियानगर जनपद मेरठ।
2. कल्लू पुत्र देवी शरण निवासी बालका थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. भोला पुत्र जगदीश निवासी उपरोक्त।
4. अरूण कुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम दत्तावली थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी-

1. 01 गाड़ी महेन्द्रा सुपरो मिनी ट्रक फर्जी नम्बर प्लेट (घटना में प्रयुक्त)
2. 04 बंडल तार एलटी लाईन
3. 40 टूकडे तार एलटी लाईन
4. 01 अवैध चाकू
5. 02 कटर, 02 पिलास आदि।

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बरामद गाड़ी से घुमफिरकर बुलन्दशहर व उसके आस-पास के अन्य जनपदों में हाईटेंशन लाईन व एलटी लाईन के तार व बिजली के उपकरण चोरी करते हैं तथा चोरी किये गये सामान को सीलमपुर दिल्ली में कबाड़ी को बेच देते हैं। अभियुक्तों द्वारा जनपद मेरठ, हापुड व अमरोहा में तार चोरी करने की स्वीकारोक्ति की गयी है।

अभियुक्तों द्वारा बरामद तार को दिनांक 07/08-02-2024 की रात्रि में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव भिरौली के जंगल से खम्बों से बिजली का तार चोरी किया गया था जिसके संबंध में थाना एंटी पावर थैफ्ट पर मुअसं- 396/24 धारा 136,140 विद्युत अधिनियम पंजीकृत है।

अभियुक्त कल्लू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 03/14 धारा 136 वि0 अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0-179/13 धारा 136 वि0 अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0- 220/13 धारा 136 वि0 अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0- 153/17 धारा 136/137/140 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0-186/17 धारा 136/140 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0-188/17 धारा 25 ए एक्ट थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
7. मु0अ0सं0-556/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0-98/17 धारा 136 वि0 अधि0 थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
9. मु0अ0सं0-132/17 धारा 136 वि0 अधि0 थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
10. मु0अ0सं0-385/20 धारा 379/411/427 भादवि व 136/137 वि0 अधि0 थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

- 11.मु0अ0सं0-394/2020 धारा 3/25 ए एक्ट थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 12.मु0अ0सं0-486/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 13.मु0अ0सं0-23/23 धारा 307 भादवि व 3/4/25 ए एक्ट व 137 वि0अधि0 थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
- 14.मु0अ0सं0-74/24 धारा 420/120बी/411 भादवि व 4/25 ए एक्ट थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त अमित का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0-30/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
- 2.मु0अ0सं0-74/24 धारा 420/411/120बी भादवि व 4/25 ए एक्ट थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. श्री रमाकांत पचौरी प्रभारी निरीक्षक थाना जहाँगीराबाद
2. उ0नि0 परवेज चौधरी, उ0नि0 शिवम कुमार
3. है0का0 सोनपाल शर्मा, है0का0 राजेन्द्र सिंह, है0का0 सुधीर शर्मा, है0का0 प्रदीप, का0 सुखवेन्द्र



मीडिया सैल बुलन्दशहर